

## (सभा की बैठक में सदस्यों के व्यवहारार्थ कटौती प्रस्ताव) बिहार विधान सभा सचिवालय

(सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र) फरवरी-मार्च, 2022 की कार्यसूची (खण्ड-02) दिनांक-09 मार्च, 2022

माँग संख्या - 49 आय-व्ययक शीर्षक - जल संसाधन विभाग

30. प्रभारी मंत्री, जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''जल संसाधन विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 43,10,56,79,000/- (तैंतालीस अरब दस करोड़ छप्पन लाख उनासी हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय ।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

31. ब्री अजीत शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक के मुख्य शीर्ष-2700, उप मुख्य शीर्ष-04, लघु शीर्ष-101, उप शीर्ष-0001 के लिए 28,00,00,000/- रूपये की माँग 2,00,00,000/- रूपये से घटाई जाय ।

मितव्ययिता पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

32-41. श्री लिलत कुमार यादव, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री विजय शंकर दूबे, श्री राजेश कुमार, श्री अजय कुमार सिंह, श्री अखतरूल ईमान, श्री अजीत शर्मा, श्री महबूब आलम, श्री सत्यदेव राम एवं छत्रपति यादव प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

## माँग संख्या - 50 आय-व्ययक शीर्षक - लघु जल संसाधन विभाग

42. प्रभारी मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''लघु जल संसाधन विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 10,23,54,70,000/- (दस अरब तेईस करोड़ चौवन लाख सत्तर हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

43-46. श्री ललित कुमार यादव, श्री अजय यादव, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की लघु जल संसाधन नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

## माँग संख्या - 24

आय-व्ययक शीर्षक - सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

47. प्रभारी मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग प्रस्ताव करेंगे कि "सूचना एवं जनसंपर्क विभाग" के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 2,37,81,29,000/- (दो अरब सैंतीस करोड़ इक्यासी लाख उनतीस हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

48-51. श्री लिलत कुमार यादव, डा॰ रामानुज प्रसाद, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय।

राज्य सरकार की सूचना एवं जनसम्पर्क नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

## माँग संख्या - 36

आय-व्ययक शीर्षक - लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

52. प्रमारी मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग प्रस्ताव करेंगे कि ''लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग'' के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 23,80,38,29,000/- (तेईस अरब अस्सी करोड़ अड़तीस लाख उनतीस हजार) रूपये से अनिधक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

53-56. श्री लिलत कुमार यादव, डा॰ रामानुज प्रसाद, श्री अजीत शर्मा एवं श्री महबूब आलम प्रस्ताव करेंगे कि इस शीर्षक की माँग 10/- रूपये से घटाई जाय ।

राज्य सरकार की लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए ।

शैलेन्द्र सिंह सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

कटौती प्रस्ताव की स्वीकृति का निर्णय सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा किया जायगा ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-02/2022- // / वि०स०, पटना, दिनांक- प्रेस्ति: निष्ठान सभा के सभी माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री / अन्य मंत्रिगण / सरकार के मुख्य सचिव / सरकार के सभी विभाग / राज्यपाल के प्रधान सचिव / अपर मुख्य सचिव, विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, संसदीय कार्य विभाग / निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग / महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(असीम कुमार) उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-02/2022- 112 8 /वि०स०, पटना, दिनांक- 0 मार्च, 2022 ई०। प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय / प्रधान आप्त सचिव, संयुक्त सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय / माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सचिव एवं संयुक्त सचिव, बिहार विधान सभा, पटना को सूचनार्थ प्रेषित रि

(असीम कुमार) उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-आय-व्ययक-02/2022- 112-8 /वि०स०, पटना, दिनांक- 0 मार्च, 2022 ई०। प्रति:-सूचना शाखा / विधायी शाखा एवं विधायी बजट शाखा, बिहार विधान सभा (पाँच प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(असीम कुमार) उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।